


81

श्री मान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वा लियर सर्किट कोर्ट रोवा,  
जिला रोवामोप्रो

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2012

श्री उमेश बिहारी  
द्वारा दायर फर 25-4-12  
उत्तर  
30  
25-4-12



20-20-12  
महाराज

R-1196-II/12

- 1- दिलीप कुमार तिवारी उम्र 32 वर्ष, ।
- 2- श्री शिवाकान्त तिवारी उम्र 20 वर्ष । दौना के पिता स्व० शंकरलाल तिवारी निवासी ग्राम डाढा, तहसील तयोधर, जिला रोवामोप्रो

--- आवेदकगण, निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

- 1- वृजराज धर तिवारी उम्र 70 वर्ष, ।
- 2 रघुराजधर तिवारी उम्र 65 वर्ष, ।
- 3-नाथूराम तिवारी उम्र 55 वर्ष, । चारों के पिता विद्याधर दुबे
- 4- राजलक्ष्मीधर उम्र 45 वर्ष । निवासी गण ग्राम डाढा, तह

तयोधर, जिला रोवा मोप्रो--- अनावेदकगण/गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कले

रोवा, जिला रोवामोप्रो के प्रकरण क्र० 368 अ-27/

निगरानी/0-10-11 आदेश दिनांक 10-4-12

विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने बावत।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मोप्रो भूराजस्व संहिता

25/4/12

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1196-दो/2012

जिला रीवा

दिलीप विरूद्ध बृजराज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 368/अ-27/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10-04-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>	